भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1601
21 दिसम्बर, 2022 को उत्तरार्थ

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस

1601 # श्री सतीश चंद्र दूबे

क्या ***सहकारिता*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में 100वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवसर पर आयोजित कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के उद्देश्य सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार योजनाओं के साथ-साथ एक नई सहकारी नीति के मसौदे को तैयार करने पर काम कर रही है;

(घ) यदि हां, तो लक्ष्यों और उद्देश्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में समावेशी विकास के लिए सामाजिक-आर्थिक विकास लाने के उद्देश्य से सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) और (ख): जी हां, मान्यवर । सहकारिता के 100वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) के सहयोग से 'सहकारिता एक आत्मनिर्भर भारत और एक बेहतर दुनिया बनाएँ' विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों के अलावा देश भर के हितधारकों ने व्यापक रूप से भाग लिया ।

भारत सरकार ने राष्ट्रीय सह्कारी प्रशिक्षण परिषद् (एनसीसीटी) के माध्यम से 'सहकारिता प्रशिक्षण में अभिसरण और स्केलिंग अप' विषय पर एक वेबिनार का भी आयोजन किया जिसमें सहकारी क्षेत्र के हितधारकों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का लक्ष्य सहकारी समितियों में जागरुकता का प्रसार करना और अंतर्राष्ट्रीय एकता, आर्थिक कुशलता, समता और विश्वशांति जैसे आंदोलन के विचार को प्रोत्साहित करना है ।

(ग) और (घ): 'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना को साकार करने, सहकारिता आधारित आर्थिक मॉडल को प्रोत्साहित करने, देश में सहकारिता आंदोलन को सशक्त करने तथा सबसे निचले स्तर तक इसकी पहुंच बनाने के लिए नई सहकारिता नीति बनाने की परिकल्पना की गई है ।

इस संदर्भ में हितधारकों के साथ परामर्श किए गए । इस नई नीति पर केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों, राष्ट्रीय सहकारी संघों, संस्थानों के साथ-साथ आम जनता से भी सुझाव मांगे गए।

विभिन्न मुद्दों की समीक्षा, नीति सुझावों और समेकित फीडबैक व सिफारिशों को ध्यान में रखकर नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति को बनाने हेतु दिनांक 2 सितम्बर, 2022 को श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु की अध्यक्षता में सहकारी क्षेत्र के विशेषज्ञों, राष्ट्रीय/राज्य/जिला/प्राथमिक स्तर की सहकारी समितियों, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के सचिव (सहकारिता) और सहकारी समितियों के पंजीयकों, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों की एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया गया है ताकि सहकारिता क्षेत्र की वास्तविक क्षमता को प्राप्त करने के लिए एक संरचना प्रदान की जा सके ।

इसके अलावा, अनेक योजनाएं आरंभ की गई हैं, जिनमें से कुछ का ब्यौरा निम्नानुसार है:

i. आर्थिक कार्य मंत्रिमंडल समिति के दिनांक 29 जून, 2022 के आदेश के माध्यम से 2,516 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय से अगले तीन वर्षों में 63,000 कार्यशील प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) के कंप्यूटरीकरण की एक परियोजना को अनुमोदित किया गया । इस परियोजना में सभी कार्यशील पैक्स को एक ईआरपी (एंटरप्राइज़ रीसोर्स प्लानिंग) आधारित कॉमन सॉफ्टवेयर में लाना, उन्हें राज्य सहकारी बैंकों और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से नाबार्ड के साथ जोड़ना शामिल है ।

ii. पैक्स के लिए आदर्श उपविधियों को सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों और संबंधित मंत्रालयों सहित हितधारकों के साथ गहन परामर्श के पश्चात् पैक्स द्वारा उनके संबंधित राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अनुसार अपनाए जाने के लिए तैयार किया गया । पैक्स की इन आदर्श उपविधियों के कारण वे डेयरी, मात्स्यिकी, पुष्पकृषि, गोदामों के निर्माण, खाद्यान्न की खरीद, उर्वरक, बीज, एलपीजी/पेट्रोल/हरित ऊर्जा वितरण एजेंसी, बैंकिंग अभिकर्ता, कॉमन सेवा केन्द्र, आदि जैसे 25 से भी अधिक व्यावसायिक कार्यकलाप कर सकेंगे ।

iii. मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस को विकसित करने की प्रक्रिया भी आरंभ कर दी है जिसमें सभी क्षेत्रको में कार्य करने वाली सहकारी समितियों का प्रामाणिक और अद्यतित डाटा भंडार होगा । यह डेटाबेस सभी हितधारकों को सुगमता के साथ नीति निर्माण और कार्यान्वयन में मदद करेगा जिसके फलस्वरूप देश में सहकारिता आंदोलन मजबूत होगा ।

(ङ): भारत में सहकारी समितियों के कार्यकरण को पेशेवर बनाने के लिए देश की मौजूदा सहकारी शिक्षण और प्रशिक्षण प्रणाली को विभिन्न हितधारकों के परामर्श से सुदृढ़, पुनर्गठित और पुन: अभिमुख करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं । इसका लक्ष्य मानकीकरण और उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण/प्रशिक्षण को लाना है ताकि सहकारी समितियों को समावेशी विकास में योगदान देने हेतु और अधिक प्रभावशाली और उत्पादक बनाया जा सके ।

****